



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
तपोवन मार्ग, रायपुर रोड, उत्तराखण्ड, देहरादून।



उत्तराखण्ड राज्य

PH No. 0135-2789483

Email: hod.res.uk@gmail.com

पत्रांक ३७८ / ग्रा0नि0वि0 / निर्देश / 2023-24 /

दिनांक २१.५. 2023

“कार्यालय आदेश”

इस कार्यालय के आदेश संख्या 150 / ग्रा0नि0वि0 / निर्देश / 2023-24 दिनांक 15.04.2023

में आशिक संशोधन करते हुए निम्नवत निर्देश प्रसारित किये जाते हैं-

1-बिन्दु संख्या 1 में मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) स्तर पर निर्माण कार्यों की निविदाएँ (तकनीकी एवं वित्तीय बिड) खोले जाने हेतु समिति का गठन निम्नानुसार होगा।

1. मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)

—अध्यक्ष

2. अधीक्षण अभियन्ता (मॉ0) / अधीक्षण अभियन्ता सम्बन्धित परिमण्डल

—सदस्य

3. अधिशासी अभियन्ता सम्बन्धित प्रखण्ड

—सदस्य

4. प्रखण्डीय लेखाधिकारी प्रखण्ड देहरादून

—सदस्य

2-बिन्दु संख्या 5 (d) निर्माण कार्यों में धरोहर धनराशि हेतु अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के पैरा 44 के अनुसार निम्न प्रकार लागू होगा-

धरोहर धनराशि रु0 25.00 करोड लागत तक के अनुमानित कार्य के लिए अनुमानित लागत का 2 प्रतिशत एवं इससे अधिक लागत हेतु रु0 50.00 लाख + रु0 25 करोड से अधिक अनुमानित लागत का 1 प्रतिशत धनराशि राष्ट्रीय बचत पत्र / डाकधर की सावधि पासबुक / सूचीबद्ध बैंक की एफ.डी.आर. जो कि अधीक्षण अभियन्ता / अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल / प्रखण्ड के नाम बन्धक हो, मान्य होगी।

मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)

ग्रामीण निर्माण विभाग

उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक एवं दिनांक उक्तानुसार।

/ / ई-मेल द्वारा / /

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2. मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, कुमायूँ मण्डल (भीमताल) नैनीताल।
3. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग उत्तराखण्ड।
4. समस्त अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग उत्तराखण्ड।
5. कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) हेतु गठित समितियों के सदस्यगण।
6. श्रीमती प्रियंका चौहान कनिष्ठ सहायक को इस निर्देश के साथ कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)

ग्रामीण निर्माण विभाग

उत्तराखण्ड देहरादून।



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
तपोवन मार्ग, रायपुर रोड, उत्तराखण्ड, देहरादून।



PH No. 0135-2789483

Email: hod.res.uk@gmail.com

पत्रांक 276 / ग्रा0नि0वि0/निर्देश/2023-24 / दिनांक 29.4.2023

"कार्यालय आदेश"

इस कार्यालय के आदेश संख्या 150/ग्रा0नि0वि0/निर्देश/2023-24 दिनांक 15.04.2023 में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नवत निर्देश प्रसारित किये जाते हैं—
1-बिन्दु संख्या 1 में मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) स्तर पर निर्माण कार्य की निविदाएँ (तकनीकी एवं वित्तीय बिड) खोले जाने हेतु समिति का गठन निम्नानुसार होगा।

1. मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) —अध्यक्ष
2. अधीक्षण अभियन्ता (मॉ0)/अधीक्षण अभियन्ता सम्बन्धित परिमण्डल —सदस्य
3. अधिशासी अभियन्ता सम्बन्धित प्रखण्ड —सदस्य
4. प्रखण्डीय लेखाधिकारी प्रखण्ड देहरादून —सदस्य

2-बिन्दु संख्या 5 (d) निर्माण कार्य में धरोहर धनराशि हेतु अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के पैरा 44 के अनुसार निम्न प्रकार लागू होगा—

धरोहर धनराशि रु0 25.00 करोड लागत तक के अनुमानित कार्य के लिए अनुमानित लागत का 2 प्रतिशत एवं इससे अधिक लागत हेतु रु0 50.00 लाख + रु0 25 करोड से अधिक अनुमानित लागत का 1 प्रतिशत धनराशि राष्ट्रीय बचत पत्र/डाकघर की सावधि पासबुक/सूचीबद्ध बैंक की एफ.डी.आर. जो कि अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल/प्रखण्ड के नाम बन्धक हो, मान्य होगी।

मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग

उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक एवं दिनांक उक्तानुसार।

// ई-मेल द्वारा //

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2. मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, कुमायूँ मण्डल (भीमताल) नैनीताल।
3. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग उत्तराखण्ड।
4. समस्त अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग उत्तराखण्ड।
5. कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) हेतु गठित समितियों के सदस्यगण।
6. श्रीमती प्रियंका चौहान कनिष्ठ सहायक को इस निर्देश के साथ कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग

उत्तराखण्ड देहरादून।

